इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. : 7 फरवरी 2015

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक का मौद्रिक वक्तव्य ----------2
मुख्य घटनाएं ----------2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएं ----------6
विनियामकों के कथन ---------- ----------8
बीमा ----------9
ग्रामीण बैंकिंग / विदेशी मुद्रा ---------- 10
नयी नियुक्तियां /अर्थव्यवस्था ----------11
उत्पाद एवं गठजोड ---------- ---------- 12
बासेल -III - पूंजी विनियमन ----------13
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ---------- ------14
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------14
संस्थान समाचार----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक का मौद्रिक वक्तव्य : 15 जनवरी, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (Repo) दर को तत्काल प्रभाव से 8.0% से घटा कर 7.75% कर दिया है।

अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 4.0% पर अपरिवर्तित रखा गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक एक-दिवसीय पुनर्खरीद के तहत बैंक-वार निवल सावधि मांग एवं देयताओं के 0.25% पर चलनिधि समायोजन सुविधा की पुनर्खरीद दर पर चलनिधि प्रदान करना तथा नीलामियों के माध्यम से 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद दरों पर बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं देयताओं के 0.75% तक की चलनिधि प्रदान करना जारी रखेगा; और

भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि को सहज बनाने के लिए दैनिक परिवर्ती पुनर्खरीद दरों और प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दरों को बनाए रखेगा।

फलस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रति-पुनर्खरीद दर 6.75% पर और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर एवं बैंक दर 8.75% पर तत्काल प्रभाव से समायोजित हो गई है।

मुख्य घटनाएं

डॉ. राजन 'वर्ष का गवर्नर' पुरस्कार से सम्मानित

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन को ब्रिटिश जर्नल 'सेन्ट्रल बैंकिंग' द्वारा वर्ष का गवर्नर (गवर्नर ऑफ दि इयर) पुरस्कार प्रदान किया गया है। उक्त पुरस्कार में बैंक के गवर्नर के रूप में उनके पहले वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक का नेतृत्व करने में उनके संकेन्द्रित दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान की गई है। सेन्ट्रल बैंकिंग के संपादकीय दल, संपादकीय परामर्शी बोर्ड और सेन्ट्रल बैंकों के भूतपूर्व गवर्नरों के समावेश वाले एक पैनल ने उक्त पुरस्कार हेतु उनका चयन किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2000 से कम की आबादी वाले गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की समय-सीमा घटाई

3

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा बैंकिंग सुविधा रहित (2,000 से कम की आबदी वाले) गावों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा को मार्च, 2016 के बजाय घटा कर 14 अगस्त, 2015 कर दिया है। यह मुहिम प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के वर्तमान कार्यान्वयन को ध्यान में रख कर शुरू की गई है, जो वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय ध्येय (मिशन) है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना का चरण -I 14 अगस्त तक पूरा किए जाने के उद्देश्य से बैंकों के माध्यम से समयबद्ध रीति से कार्यान्वित किया जा रहा है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल -III के लिए बैंकों के उत्तोलन अनुपात पर निगरानी रखेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित किए जाने वाले बैंकों हेतु बासेल-III मानदंडों के तहत उत्तोलन अनुपात में परिवर्तन की घोषणा की है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह बासेल समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित नियमों के 2017 के अंत तक जारी किए जाने तक 4% के सांकेतिक उत्तोलन अनुपात के समक्ष अलग-अलग बैंकों पर निगरानी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि भारत में परिचालनरत बैंकों के लिए उत्तोलन अनुपात और उसके संघटकों का 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद तिमाही आधार पर प्रकटन किया जाना आवश्यक होगा और इस प्रकार का पहला प्रकटन जून तिमाही के लिए किया जाना चाहिए।

राज्य सहकारी बैंक / मध्यवर्ती सहकारी बैंक : एकबारगी चुकौती विकल्प वाले स्वर्ण ऋणों में वृद्धि

सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके पूर्व एकबारगी चुकौती विकल्प के साथ 1 लाख रुपये तक के स्वर्ण ऋण मंजूर किए जाने की अनुमति दी गई थी। अब, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस योजना के तहत मंजूर किए जा सकने वाले ऋण की मात्रा निम्नलिखित शर्तों पर 1.00 लाख रुपये से बढ़ा कर 2.00 लाख रुपये कर दी है: (i) उक्त ऋण की अवधि स्वीकृति की तिथि से 12 माह से अधिक नहीं हो सकती। (ii) खाते में ब्याज मासिक अंतरालों पर प्रभारित किया जाएगा, किन्तु वह चुकौती के लिए स्वीकृति की तिथि से 12 माह के अंत में ही देय होगा। (iii) रा□य सहकारी बैंकों / मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ब्याज सहित ऋण की बकाया रकम पर 75% का मूल्य की तुलना में ऋण (LTV) अनुपात निरंतर आधार पर बनाए रखना चाहिए, ऐसा न होने पर ऋण को अनर्जक आस्ति (NPA) माना जाएगा और (iv) सोने का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

बड़े मूल्य वाली धोखाधडियों की निगरानी शहरी सहाकरी बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके पहले सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को आंतरिक निरीक्षण,

साविधिक लेखा-परीक्षा, अंतर-शाखा / अंतर-बैंक लेखों, बहियों के समतुलन, आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण करने हेतु निदेशक मंडल की एक शीर्ष स्तरीय लेखा-परीक्षा समिति (ACB) गठित करने की सलाह दी थी। अब, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अनन्य रूप से 1 करोड़ रूपये और उससे अधिक की रकम वाली धोखाधड़ियों के सभी मामलों पर निगरानी रखने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने तथा सामान्यतया धोखाधड़ियों के सभी मामलों पर गिगरानी रखने हेतु निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को बनाए रखने का निदेश दिया है। उक्त विशेष समिति ऐसी प्रणालीगत कमियों, यदि कोई हो, की पहचान करेगी, जिससे धोखाधड़ी की करतूत में मदद मिली और उन्हें दूर करने; उनका पता लगाने में हुई देरी, यदि कोई हो, की पहचान करेगी, बैंक के शीर्ष प्रबन्धन और भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो / पुलिस की □□पड़ताल और वसूली की स्थिति में हुई प्रगति पर निगरानी रखने; स्टाफ की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय लागू करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेशक मंडल की विशेष समिति की कार्यप्रणाली की अर्धवार्षिक आधार पर समीक्षा किए जाने का भी सुझाव दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों और आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा प्रतिरक्षण संविदा के मानदंड सरल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विगत कार्य-निष्पादन मार्ग के तहत निर्यातकों और आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा प्रतिरक्षण के मानदंडों को सरल कर दिया है। इसके पूर्व आयातकों एवं निर्यातकों के लिए इस सुविधा के तहत अन्य प्राधिकृत श्रेणी। बैंकों के पास बुक की गई रकमों के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा विहित रूप से प्रमाणित आरूप में एक तिमाही घोषणापत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी के पास तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना आवश्यक होता था। अब, आयातकों और निर्यातकों के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नये आरूप के अनुसार उसी आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों को निर्यातकों एवं आयातकों को उनके ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में संतुष्ट हो लेने पर मुख्य वित्तीय अधिकारी / कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आरूप के अनुसार दस्तावेज़ की जांच कर लेने के बाद उनकी पात्र सीमा के 50% से अधिक वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं बुक करने की अनुमति दे कर उक्त मानदंडों को शिथिल कर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को दलालों की हैसियत से बीमा उत्पाद बेचने की अनुमति दी

बैंकों के बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने के सम्बन्ध में अपने दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सलाह दी है कि बैंक कोई सहायक कम्पनी / संयुक्त उद्यम गठित करके बीमा व्यवसाय आरंभ कर

सकते हैं और उसके साथ ही या तो विभागीय स्तर पर या फिर किसी सहायक कम्पनी के माध्यम से कुछेक शर्तों के अध्ययीन बीमा दलाली / बीमा एजेन्सी का कार्य शुरू कर सकते हैं। बैंकों को केवल किसी सहायक कम्पनी या संयुक्त उद्यम विधि के माध्यम से ही जोखिम में सहभागिता के साथ बीमा

व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति है। बैंक उनके द्वारा पात्रता मानदंड पूरा किए जाने पर- बैंक की निवल मालियत के 10000 करोड़ रुपये से कम न होने; जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) 10 प्रतिशत से कम होने; निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर 3% से अधिक न होने; बैंक द्वारा निरंतर पिछले तीन वर्षों से निवल लाभ अर्जित किए जाने; सम्बन्धित बैंक की सहायक कम्पनियों, यदि कोई हों, के कार्य-निष्पादन का पिछला रिकार्ड संतोषजनक होने पर इस उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से आधार दर की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने हेतु कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंकों द्वारा किसी मौजूदा उधारकर्ता से प्रभारित किया जाने वाला कीमत-लागत अंतर (spread) (अथवा आधार दर की तुलना में अधिक मूल्य-निर्धारण) ग्राहक की ऋण जोखिम प्रोफाइल में गिरावट आने अथवा अवधि प्रीमियम में परिवर्तन को छोड़कर बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। आधार दर का परिकलन करते समय बैंकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे निधियों की लागत की गणना या तो निधियों की औसत लागत पर या फिर निधियों की सीमांत लागत पर या प्रचलन के अधीन किसी अन्य ऐसी कार्यप्रणाली के आधार पर करें, जो उपयुक्त एवं पारदर्शी हो, बशर्ते वह सुसंगत हो तथा वह जब कभी आवश्यक हो, पर्यवेक्षी पुनरीक्षण/ छानबीन के लिए उपलब्ध हो। अब तक बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बैंकों की परंपरा के अनुसार अपने निदेशक मंडल या अपनी आस्ति-देयता प्रबन्धन समिति (ALCO) के अनुमोदन के साथ आधार दर का एक तिमाही में कम से कम एक बार पुनरीक्षण करें। अग्रिमों पर ब्याज दरों के सम्बन्ध में अपने अतिरिक्त दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पांच वर्षों की वर्तमान आवधिकता की बजाय उसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद से तीन वर्ष के बाद आधार दर कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किए जाने की अनुमति दे दी है। ऐसा बैंकों को अधिक परिचालनात्मक लोच प्रदान करने हेतु किया गया है। हालांकि बैंकों को पुनरीक्षण चक्र के दौरान उनकी कार्यप्रणाली को बदलने की अनुमति नहीं होगी। आधार दर एक ऐसी न्यूनतम ब्याज दर होती है जिससे कम पर कोई बैंक उधार नहीं देगा। नये दिशानिर्देश 19 फरवरी, 2015 से प्रभावी होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लागत वृद्धि का निधीयन करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (NBFCs) लागत में ऐसी बढ़ोतरियों का निधीयन कर सकती हैं जो मूलभूत सुविधा और गैर-मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि बढ़ाई जाने के कारण हो सकती हैं। ऐसे

मामलों में जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने (मूलभूत सुविधा और गैर-मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के) प्रारंभिक वित्तीय समापन के समय 'आपाती सुविधा' स्वीकृत की हो, किन्तु जिसमें लागत में बढ़ोतरियों की परिकल्पना न की गई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्हें लागत वृद्धि का निधीयन करने की अनुमति दी है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां लागत वृद्धि का निधीयन ऋणों को 'पुनर्व्यवस्थित आस्ति' माने बिना इस शर्त

पर कर सकती हैं कि वे 'निर्माण के दौरान ब्याज' की उस अतिरिक्त राशि का निधीयन कर सकती हैं जो किसी परियोजना के पूरे होने में विलम्ब के कारण उद्भूत हो सकती है, अन्य लागत वृद्धियों का मूल परियोजना लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक निधीयन कर सकती हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा नयी मूलभूत सुविधा परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFDs) को परियोजना की व्यवहार्यता और उनके उधारकर्ताओं की ऋण-शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए पांच-सात वर्ष के अंतरालों में नयी मूलभूत सुविधा परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन करने की अनुमति दे दी है। इसके पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मूलभूत सुविधा एवं प्रमुख उद्योगों को नये सावधि ऋणों से लेकर दीर्घावधि परियोजना ऋणों के लिए लचीली संरचना और पुनर्वित्तीयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए थे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां मूलभूत सुविधा एवं प्रमुख उद्योगों को दीर्घावधि परियोजना ऋणों के पुनर्वित्तीयन का कार्य भी करती हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से यह लचीलापन उन्हें भी प्रदान करने का अनुरोध किया था। अब, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूलभूत सुविधा और प्रमुख उद्योगों को दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश : ऋण दर की विस्तार सीमा वेबसाइट पर प्रदर्शित करं

उधारकर्ताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों की ब्याज दरें उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करने हेतु कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि "बैंकों को ऐसे ऋणों की औसत ब्याज दरों के साथ पिछली तिमाही में वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर किए गए अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संविदाकृत ऋणों की ब्याज दर की विस्तार सीमा को प्रदर्शित करना चाहिए।" उसने यह भी कहा है कि "ऋण पर कार्रवाई करते समय विविध ऋणों पर लागू होने वाले कुल शुल्कों और प्रभारों को बताया जाना चाहिए और उसके साथ ही पारदर्शिता, तुलनीयता के लिए तथा ग्राहक द्वारा सुविज्ञ निर्णयन को सुगम बनाने हेतु उन्हें वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।" भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को किसी ऋण पर कुल ऋण लागत का निरूपण करने हेतु उनकी वेबसाइटों पर वार्षिक प्रतिशत दर (APR) भी प्रकाशित करने की सलाह दी है, ताकि ग्राहकों को विभिन्न उत्पादों और / अथवा ऋणदाताओं से उधार लेने के साथ जुड़ी लागतों की तुलना करने में सुविधा हो। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता को बहु-स्तरीय विपणन गतिविधियों के प्रति आगाह किया

7

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता को बहु-स्तरीय विपणन गतिविधियों के विरुद्ध आगाह किया है, ताकि निवेशक बेईमान कम्पनियों के शिकार न बनें। इन कम्पनियों की कार्यप्रणाली को समझाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बहु-स्तरीय विपणन / श्रृंखला विपणन / पिरामिड ढांचे वाली योजनाएं सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कर लेने पर सुलभ या त्वरित मुद्रा के वादे करती हैं। इस प्रकार की योजनाओं के तहत आय मुख्यत: ऐसे अधिक से अधिक सदस्यों को शामिल किए जाने से होती है, जिनसे उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों की बिक्री के बजाय भारी अभिदान शुल्क लिया जाता है। सभी सदस्यों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे अधिक सदस्य बनाएं, क्योंकि इस प्रकार वसूल किए गए अभिदान की रकमों का एक अंश पिरामिड के शीर्ष पर बैठे सदस्यों में वितरित किया जाता है। इस श्रृंखला में किसी प्रकार के विभंजन के परिणामस्वरूप पिरामिड ध्वस्त हो जाएगी और इस पिरामिड के निचले स्तर वाले सदस्य ही इससे सर्वाधिक प्रभावित होते है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि मुद्रा संचलन / बहु-स्तरीय विपणन / पिरामिड ढांचों के तहत मुद्रा स्वीकार करना पुरस्कार, चिट और मुद्रा संचलन (रोक) अधिनियम, 1978 के अधीन एक संज्ञेय अपराध है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए ग्राहक के प्रति उचित कर्तव्यपरायणता उपाय शिथिल किए गए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के मौजूदा ग्राहकों के मामले में जोखिम श्रेणीकरण के आधार पर ग्राहक के प्रति उचित कर्तव्यपरायणता उपायों को शिथिल कर दिया है। अब क्या इसके पूर्व इस प्रकार के उपाय किए गए थे और वे कब किए गए थे और प्राप्त किए गए आंकड़ों की पर्याप्तता के आधार पर कम जोखिम के लिए कम से कम प्रत्येक 10 वर्ष पर (पूर्ववर्ती पांच वर्ष के समक्ष) तथा मध्यम जोखिम वाले व्यक्तियों एवं कम्पनियों के लिए (पूर्ववर्ती दो वर्षों के समक्ष) कम से कम प्रत्येक आठ वर्ष पर अपने ग्राहक को जानिए कार्यविधि को पूरी तरह पूरा करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए आवधिक अद्यतन करते समय उनकी पहचान एवं पतों में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में कम जोखिम वाले ग्राहकों से उनकी पहचान और पते के नये प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

नेपाल या भूटान जाने वाले यात्रियों के लिए मुद्रा सम्बन्धी छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा की है कि कोई व्यक्ति अब नेपाल या भूटान की यात्रा पर 25, 000 रुपये की सीमा के अध्ययीन 500 रुपये और / अथवा 1,000 रुपये के मूल्यवर्ग में करेंसी नोट लेकर जा सकता है। इसके पूर्व नेपाल और भूटान की यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों को किसी सीमा के बिना केवल 100 रुपये तक के मूल्यवर्ग में करेंसी नोट जाने की अनुमति थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक का पैनल शहरी सहकारी बैंकों के मापदंडों की जांच करेगा

8

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायों के उपयुक्त सेट, आकार, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र हेतु रूपांतरण एवं लाइसेंसीकरण की शर्तों का पुनर्परीक्षण करने और सुझाव देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह कदम अक्तूबर, 2014 में स्थायी परामर्शी समिति (SAC) द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के अनुसरण में उठाया गया है। उक्त समिति जिनकी अनुमति शहरी सहकारी बैंकों को दी जा सकती है (वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले) उन व्यवसाय क्षेत्रों और व्यवसाय के आकार, पूंजी आवश्यकता, विनियामक प्रणाली आदि के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश चिन्हों की जांच करेगी। सीमित कानूनी अधिकारों (शक्तियों) और निराकरण के विकल्पों को ध्यान में रखते हुए उक्त समिति उस उपयुक्त आकार की जांच करेगी जिस तक कोई शहरी सहकारी बैंक वर्तमान विनियामक ढांचे के तहत प्रणाली को किसी अनुचित जोखिम में डाले बिना विकास कर सकता है। उक्त समिति मालेगाम समिति (नये शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसीकरण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति) की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के तौर-तरीकों को भी निर्धारित करेगी कि जमाराशियों के मूल्य का 50% मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा धारित किया जाना चाहिए।

विनियामकों के कथन

बैंकों को फर्मों की ऋण एक्सपोजर सीमाओं पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है

मुंबई में आयोजित व्यवसाय मानक सर्वोत्तम बी-स्कूल परियोजना पुरस्कार समारोह में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल ने कहा कि "बैंकों को व्यवसाय चक्र के दौरान बेहतर जोखिम प्रबन्धन प्रथाओं के बारे में उनकी भावी समझ के एक अंग के रूप में कुछ समय बाद (अभी नहीं) एक उपयुक्त अवसर पर (अर्थात् भविष्य में) विशिष्ट कम्पनी / समूह की ऋण एक्सपोजर सीमाओं और उनके साथ ही क्षेत्र के एक्सपोजरों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।" उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि बहुत बड़े ऋणों पर अतिशय बल दिए जाने के बजाय काफी बड़ी संख्या में लघु व्यवसाय ऋणों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नीति / दिशानिर्देशों पर चर्चा के संदर्भ में उन्होंने लघु उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और रोज़गार सृजन के लिए वित्त को बढ़ाए जाने का सुझाव दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक सुस्पष्ट पूंजी संग्रहण योजना तैयार करनी होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक सुस्पष्ट पूंजी संग्रहण योजना तैयार करनी होगी। बासेल-III मानदंडों के लागू हो जाने के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को टियर-1 पूंजी (जिसमें लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपये की

इक्विटी पूंजी शामिल है) मे लगभग 4.50 लाख करोड़ रुपये की भारी रकम की आवश्यकता होगी। श्री गांधी के अनुसार ये अनुमान न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर लगाए गए हैं और इसलिए ये आवश्यक रूप से पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं। पूंजी आवश्यकता योजनाएं तैयार करने में अन्य चीजों के साथ ही गैर-मताधिकार वाली अधिकार शेयर पूंजी तथा विभेदक

मताधिकार वाली शेयर पूंजी का समावेश हो सकता है। बीसीसीएण्डआई द्वारा आयोजित 'भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग : आगे का मार्ग' सम्मेलन में अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि "हाल ही में यह रिपोर्ट किया गया है कि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी धारिता को घटाकर 52 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। यह कदम बासेल -III मानदंडों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होगा।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखा-परीक्षा समिति से कठोर निगरानी प्रक्रिया की व्यवस्था करने हेतु कहा

आईसीआईसीआई बैंक में एक विशेष व्याख्यान देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा ने लेखा समिति से विनियामक की अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला और विनियामक / पर्यवेक्षी विषय क्षेत्र में उभरती उन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जिन पर भविष्य में वित्तीय समूहों की लेखा-परीक्षा समितियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रावधानों के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण जैसे सेवानिवृत्ति के उपरांत वाले लाभों / प्रसुविधाओं आदि के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए। उन्होंने अपने व्याख्यान में यह कहा कि "यह महत्वपूर्ण है कि लेखा-परीक्षा समिति बोर्ड (ACB) प्रबन्धन से उन विविध अन्तर्निहित मान्यताओं के बारे में सही प्रश्न पूछता है जो प्रत्याशित आयु, बट्टा दर, निवेशों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ आदि जैसे आवश्यक प्रावधानों की गणना में शामिल किए जाते हैं।"

राजकोषीय घाटा सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति को अधिक रखेगा, भारतीय रिज़र्व बैंक का कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन के अनुसार बॉण्डों (सरकारी प्रतिभूतियों) की सकल आपूर्ति राजकोषीय समेकन के बाद भी अधिक बनी रहेगी, क्योंकि सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को निकट भविष्य में भी जारी रखे जाने की संभावना है। सरकार राजकोषीय सुदृढ़ता के मार्ग एवं राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्ध है, किन्तु बॉण्ड व्यापारियों और बाज़ारों के लिए चुनौतियां प्रचुर हैं। भारतीय प्राधिकृत व्यापारी संघ की वार्षिक बैठक में श्री पद्मनाभन ने कहा कि "बॉण्ड की मांग अन्य कारकों के साथ ही निजी क्षेत्र के ऋण में संभाव्य वृद्धि , सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) और परिपक्वता तक धारित (HTM) में कमी, सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के सम्बन्ध में नीतिगत दृष्टकोण आदि द्वारा प्रभावित हो सकती है।

बीमा

जीवन बीमा धारकों को कागजरहित होने पर छूट मिल सकती है

पॉलिसी के इलेक्ट्रॉनिक आरूप का विकल्प चुनने वाले जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को अब उनके प्रीमियम में 10-15 प्रतिशत की छूट (कमी) मिल सकती है क्योंकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सूचना संग्राहकों (reppositories) और बेकागज़ीकरण के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों

दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है। विनियामक भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण ने बीमा इलेक्ट्रॉनिक सूचना संग्राहकों और पॉलिसी के इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्गमन के संशोधित दिशानिर्देशों में कहा है कि "एफ एण्ड यू दिशानिर्देशों के अध्ययीन बीमाकर्ता उन पॉलिसियों के सम्बन्ध में छूट प्रदान कर सकते हैं जो केवल अमूर्त (कागज़रहित) रूप में रखी गई हों। बीमा सूचना संग्रहक के सृजन का उद्देश्य ग्राहकों को पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान करना है।

ग्रामीण बैंकिंग

अल्पावधि फसल ऋणों पर ब्याजगत सरकारी अनुदान जारी रहेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वर्ष 2014-15 के लिए ब्याजगत सरकारी अनुदान योजना जारी रहने के सम्बन्ध में सूचित किया है। उक्त योजना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (उनकी ग्रामीण और कस्बाई शाखाओं द्वारा दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में) अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए प्रयुक्त स्वयं उनकी निधियों पर प्रति कृषक 3,00,000 रुपये तक 2% का ब्याजगत सरकारी अनुदान उपलब्ध होगा, बशर्ते ऋणदात्री संस्था किसानों को अल्पावधिक ऋण वास्तविक रूप से 7% प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध कराए। फसल ऋण की रकम पर 2% के इस ब्याजगत सरकारी अनुदान की गणना उसके संतिरण / आहरण की तिथि से कृषक द्वारा फसल ऋण की वास्तविक चुकौती की तिथि अथवा बैंकों द्वारा निर्धारित देय तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक, तक, अधिकतम एक वर्ष की अवधि की शर्त पर की जाएगी। इसके अलावा, त्वरित अदायगी करने वाले कृषक को फसल ऋण के संवितरण की तिथि से कृषक द्वारा की गई चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा फसल ऋण की चुकौती के लिए निर्धारित तिथि , इनमें से जो भी पहले हो, तक तक संवितरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक की शर्त पर 3% की दर से अतिरिक्त ब्याजगत अनुदान उपलब्ध होगा।

विदेशी मुद्रा

फरवरी, 2015 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली			
	लिबोर	अदला-बदली	

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.41300	0.74000	1.02400	1.24700	1.40300
जीबीपी	0.62730	0.8658.	1.0109	1.1331	1.2269
यूरो	0.13900	0.141	0.183	0.250	0.330
जापानी येन	0.15750	0.156	0.163	0.191	0.231

कनाडाई डालर	1.14000	0.868	0.947	1.046	1.163
आस्ट्रेलियाई डालर	2.32800	2.228	2.235	2.370	2.435
स्विस फ्रैंक	-0.44250	-0.667	-0.645	-0.581	-0.499
डैनिश क्रोन	0.18000	0.1228	0.2270	0.3030	0.410 0
न्यूजीलैंड डालर	3.59000	3.560	3.603	3.605	3.618
स्वीडिश क्रोन	0.07400	0.112	0.222	0.335	0.447
सिंगापुर डालर	0.77000	1.030	1.260	1.460	1.610
हांगकांग डालर	0.48000	0.790	1.040	1.230	1.360
एमवाईआर	3.77000	3.760	3.780	3.800	3.835

स्रोत : www.fedai.org.in.

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**23 जनवरी, 2015 के दिन**	**23 जनवरी, 2015 के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	19, 861.8	322,,037.6
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	18, 317.9	2 97,510.5
ख) सोना	1, 227, 2	19, 377. 9
ग) विशेष आहरण अधिकार	249,0	4, 047.9
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	67.7	1, 101 .3

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, एचडीएफसी बैंक
श्री कृष्णकुमार गोयल	अध्यक्ष, कॉसमॉस बैंक

अर्थव्यवस्था

2015 में अर्थव्यवस्था के 6.4% बढ़ने की संभावना : संयुक्त राष्ट्र

12

आर्थिक वृद्धि	% वर्षानुवर्ष	
आधार वर्ष 2004-05	2014-15	2015-16
# वास्तविक	5.5*	-
विश्व बैंक	5.6	6.4
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	5.6	6.4
संयुक्त राष्ट्रसंघ एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग	5.5**	6.4***
*2014-15 की पहली छमाही ** 2014 कैलेंडर वर्ष *** 2015 कैलेंडर वर्ष		
स्रोत : एमओएसपीआई, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्रसंघ एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग		

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में वृद्धि को प्रेरित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जिसमे यह कहा गया है कि अति आवश्यक ढांचागत सुधारों के कार्यान्वयन में प्रगति से 2015 में देश के आर्थिक कार्य-निष्पादन में तेजी आने की संभावना है। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया में 2015 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हो सकती है, जो उक्त रिपोर्ट के कथनानुसार चार वर्षों से अधिक है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय रिज़र्व बैंक	फेडरल रिज़र्व सिस्टम, ऑफिस ऑफ दि कम्प्ट्रोलर ऑफ करेंसी एण्ड फेडरल डिपोजिट इंश्योरंस कार्पोरेशन	अधिकाधिक सहयोग को बढ़ावा देने और प्राधिकारियों के बीच पर्यवेक्षी सूचना बांटने हेतु।
	यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ECB)	सूचना , नीतिगत वार्तालाप के नियमित आदान-प्रदान और दोनों संस्थाओं के बीच तकनीकी सहयोग हेतु

भारतीय महिला बैंक	लक्मे लीवर प्रा. लि.	लक्मे ब्रॉण्ड के तहत सलोन बेचने हेतु महिलाओं को ऋण प्रदान करने हेतु।
नाबार्ड	सर दोराबजी टाटा एण्ड सर रतन टाटा ट्रस्ट .	संसाधन-रहित क्षेत्रों एवं समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उद्धार के लिए विकासपरक अंतराक्षेपणों को कार्यान्वित करने में सहयोग करने हेत।

सिटी बैंक	टाटा एआईए लाइफ निजी जीवन की बीमा कम्पनी	बैंक चैनल के माध्यम से टाटा एआईए लाइफ के उत्पादप्रदान करने हेतु।
आरबीएल	ट्रानसर्व -एक डिजिटल भुगतान कम्पनी`	ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल वैलेट श्मार्ट की शुरुआत करना, ग्रहकों को त्वरित चेकअउट, तुरंत वापसी, बैंक कार्डों , वाउचरों और कूपनों के सुरक्षित भण्डारण तथा निधियां रखने हेतु एक सेमी क्लोज्ड लूप वाला पूर्वदत खाते की सुविधा प्रान की जा सकती है।
येस बैंक	ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कार्पोरशन ( ) एण्ड वेल्स फार्गो बैंक	भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ( ) को येस बैंक के उधारदायी कार्यों को बढ़ाने हेतु उसके लिए दीर्घ अवधि वाली निधीयन व्यवस्थाएं करने हेतु।

बासेल-III पूंजी विनियमन (जारी)

बासेल-III पूंजी विनियमन पर चर्चा को जारी रखते हुए निम्नलिखित का वर्णन किया जा रहा है :

31 मार्च, 2017 के बाद वाले प्रकटन का टेम्पलेट

बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2017 के बाद अर्थात् कटौतियों को आरंभ किए जाने वाली संक्रमण अवधि के समाप्त हो जाने के बाद उनकी विनियामक पूंजी को रिपोर्ट करने के लिए जिस सामान्य टेम्प्लेट का उपयोग किया जाएगा। इसे सभी विनियामक समायोजनों को प्रकट करने की बासेल-III की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु तैयार किया गया है। इस टेम्प्लेट से बैंकों के बीच और सभी अधिकार क्षेत्रों में पूंजी के तत्वों के प्रकटन में सुसंगति एवं तुलनीयता बढ़ जाती है।

संक्रमण अवधि के दौरान वाला टेम्प्लेट

भारत में बासेल-III के तहत विनियामक समायोजनों को लागू किए जाने वाली संक्रमण अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2017 तक के दौरान बैंक 31 मार्च, 2017 के बाद वाले टेम्प्लेट के एक आशोधित रूपांतरण का उपयोग करेंगे। यह टेम्प्लेट बैंकों की पूंजी के उन घटकों को प्रकट करने की बासेल-III की अपेक्षा पूरी करने हेतु तैयार किया गया है जो संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं से लाभान्वित होगी।

मुख्य विशेषताओं वाला टेम्प्लेट

किसी बैंक द्वारा एक स्थान पर जारी सभी विनियामक पूंजी लिखतों की आवश्यकताओं की मुख्य विशेषताओं का पता लगाने के लिए एक सामान्य टेम्प्लेट तैयार किया गया है। प्रकटन की इस आवश्यकता का उद्दिष्ट पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का विवरण प्रदान करने हेतु बासेल-III की अपेक्षाओं को पूरा करना है।

प्रकटन की अन्य अपेक्षाएं

यह प्रकटन बैंकों को उनकी वेबसाइटों पर पूंजी लिखतों की पूरी शर्तें एवं निबन्धन दर्शाने की बासेल -III की अपेक्षा को पूरी करने में समर्थ बनाता है।

भारत में परिचालनरत बैंकों से निम्नलिखित के बारे में अतिरिक्त प्रकटन किया जाना अपेक्षित है :

क. व्यापार बही में प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर;

ख. तुलनपत्र बाह्य संस्थाओं के प्रायोजन;

ग. प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के सम्बन्ध में मूल्यांकन; और

घ. प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के सम्बन्ध में अन्तर्निहित एवं गोदाम जोखिम

(स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

फर्स्ट लॉस सुविधा (First Loss Facility)

विशेष प्रयोजन संस्था (SPV द्वारा जारी प्रतिभूतियों को निवेश श्रेणी में लाने की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विशेष प्रयोजन संस्था को प्रदान की जाने वाली पहले स्तर वाली ऋण वृद्धि।

शब्दावली

वार्षिक प्रतिशत दर (Annual Percentage Rate)

कभी-कभी सांकेतिक वार्षिक प्रतिशत दर से और कभी-कभी एक प्रभावी वार्षिक प्रतिशत दर से मिलता-जुलता प्रभार की वार्षिक प्रतिशत दर (APR) पद ऋण, बंधक ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि पर यथा प्रयुक्त पूरे वर्ष (वार्षिक) के लिए ब्याज दर को वर्णित करता है। यह वार्षिक दर के रूप में अभिव्यक्त एक वित्त प्रभार होता है। उन शब्दों / पदों की कुछेक देशों में औपचारिक, विधिक परिभाषाएं होती हैं अथवा विधिक क्षेत्राधिकार होते हैं, किन्तु वे सामान्य रूप में :

- सांकेतिक वार्षिक प्रतिशत दर (एक वर्ष के लिए) साधारण ब्याज दर होती है।
- प्रभावी वार्षिक प्रतिशत दर शुल्क + (पूरे वर्ष के लिए परिकलित) चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

4थे अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षको के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 23 से 28 फरवरी, 2015 तक (6 दिन) लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, मुंबई में किया जाएगा। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।)

संस्थान समाचार

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्दिष्ट तिथि

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा।

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया जाएगा।

मई / जून 2015 परीक्षाओं से अद्यतन पाठ्यक्रम की शुरुआत

जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस (B&F)में डिप्लोमा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को उन परिवर्तनों के कारण अद्यतन कर दिया गया है जो बैंकिंग एवं फाइनैंस के क्षेत्र में हुए हैं। जेएआईआईबी और बैंकिंग एवं फाइनैंस में डिप्लोमा परीक्षाओं के लिए उक्त पाठ्यक्रम मई / जून और उसके बाद वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। अद्यतन पाठ्य-समग्री (अध्ययन सामग्री) जनवरी, 2015 के अंत तक बाज़ार में उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए आचरण संहिता

संस्थान ने हाल ही में आरंभ किए गए मिश्रित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आचरण संहिता जारी करना आरंभ कर दिया है और उन्हें उसका पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया □ाता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिफ

संस्थान हीरक जयन्ती और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च (DJCHBR) फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्ेक माह की 25 से 28 तक

विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियों का प्रेषण

संस्थान उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करता है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास 30 जून, 2015 से पहले पंजीकृत करवा लें। जुलाई, 2015 से संस्थान विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियां उन सदस्यों को भेजना बंद कर देगा, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी नहीं पंजीकृत करवाए हैं। केवल सॉफ्ट प्रतियां ही ई-मेल के जरिये भेजी जाएंगी। वर्तमान में आईआईबीएफ विज़न डाक्यूमेंट मुफ्त डाउनलोड करने / देखने हेतु संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

9.00
8.50

8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50

5.00
4.50
4.00

01/012/15 3/01/15 05/01/15 10/01/15 14/01/15 15/01/15 17/01/15 23/01/15 24/01/15 27/01/15 28/01/15

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जनवरी, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00

01/01/15 02/01/15 07/01/15 09/01/15 14/01/15 18/01/14 19/01/15 20/01/15 27/01/15 30/01/15

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

30000
29500
29000
28500

28000
27500
27000
26500
26000
25500

18

01/01/15 02/01/15 07/01/15 12/01/15 14/01/15 16/01/15 21/01/15 22/001/15 27/01/15 29/01/15 30/01/15

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न फरवरी, 2015